

कार्यालय राँची नगर निगम, राँची।

पड़ाव के लिए बन्दोबस्ती की शर्तें।

1. बन्दोबस्ती की अवधि दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक के लिये होगा।
2. संबंधित पड़ाव आदि के सामने अंकित जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. जिन प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों के पास निगम की राशि बकाया होगी, निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसे किसी बकायेदार द्वारा निविदा डाली जाती है, तो उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुये जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. निविदा/बन्दोबस्ती प्रक्रिया के निष्पादनोपरान्त सर्वप्रथम संबंधित सफल निविदादाता को कार्य आवंटन संबंधी L.O.A निर्गत किया जायेगा।
5. इसके पश्चात् नियमानुसार असफल निविदादाता की जमानत राशि (बैंक ड्रपट मूल रूप में) उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर लौटायी जायेगी।
6. पार्किंग, बाजार/हाट बन्दोबस्ती के मामले में डाक के निष्पादनोपरान्त डाक बोली की राशि निम्न प्रकार से जमा की जायेगी।

क्रमांक	राशि	निर्धारित समय
(i)	10 लाख रु० तक	- 100% 24 घण्टे के अंदर
(ii)	10 लाख रु० से ऊपर	- 70% राशि 24 घण्टे के अंदर एवं शेष 30% राशि द्वितीय वर्ष के 31 अक्टूबर तक।

नोट :- राशि का भुगतान Demand Draft/ RTGS के माध्यम से करना होगा।

7. बन्दोबस्त राशि के विरुद्ध निर्धारित GST एवं TCS की अतिरिक्त राशि जमा करना होगा।
8. L.O.A निर्गत होने की तिथि से 07 (सात) दिनों के अन्दर एकरानामा करना अनिवार्य होगा। यदि परिस्थिति जन्य, इसमें अवधि विस्तारित करने की आवश्यकता होगी, तो इसके लिये अधोहस्ताक्षरी से विशेष आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरानामा किये जायेंगे।
9. एकरानामा का निबंधन अपने खर्च पर करवाना होगा। एकरानामा निबंधन के पश्चात ही महसूल वसूली के लिये प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।
10. निर्धारित शर्त के उल्लंघन या बिना किसी वैध कारण के राशि जमा करने में विलम्ब करने के लिये एकरानामा रद्द कर दिया जाएगा। एवं अन्य विपरीत परिस्थिति यथा- विधि व्यवस्था या अधिकार राँची नगर निगम को सुरक्षित जनहित के मुद्दे आने पर एकरानामा रद्द करने का अधिकार राँची नगर निगम को सुरक्षित होगा।
11. द्वितीय किस्त वसूली के लिये कोई भी नोटिस अलग से कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया जाएगा, बल्कि शर्त में जो तिथि निर्धारित की गई है, उस तिथि का अनुपालन करना संबंधित बन्दोबस्तधारी की जिम्मेवारी होगी।
12. महसूल (टॉल टैक्स) वसूली निगम द्वारा निमांकित दर पर करना होगा एवं निर्धारित दर के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। एतद संबंधी सूचना पट्ट पड़ाव स्थल पर प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों को अपने खर्च से लगाना होगा।

पार्किंग दर निम्नवत होगी :-

क्रम संख्या 01,एवं 03 के लिये

चार पहिया वाहन

- 40/-रु० प्रतिघंटा

दो पहिया वाहनों के लिये

- 10/-रु० प्रतिघंटा

कम संख्या 02, के लिये

मार परिया वाहन

- 30/- रु० प्रतिघटा

को परिया वाहन

- 10/- रु० प्रतिघटा

शनिवार, रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिनों में पार्किंग शुल्क दर आधा होगा परन्तु दो परिया वाहनों के लिये पार्किंग शुल्क 05/- रु० से कम नहीं होगा।

13. 10 मिनट की अवधि परिष्का अवधि मानी जायेगी एवं इसके लिये पार्किंग शुल्क देय नहीं होगा।

14. पड़ाव रथल से दुकानों या भैंडर से महसूल वसूली का अधिकार निगम का होगा।

15. Performance Security के रूप में 25000/- रु० जमा करना होगा।

16. पड़ाव रथल में अवैध Vendor (गृष्म ठेला, खोमचा, गुमटी आदि) पाये जाने पर प्रत्येक दिन के लिए 2,000/- रु० अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा एवं यह राशि जमा की गयी Performance Security की राशि से सामायोजित कर ली जायेगी। Performance Security की राशि से सामायोजित कर जी जायेगी। Performance Security की राशि समाप्त होने पर राशि पुनः जमा करनी होगी। वित्तीय वर्ष की सामायिकि के पश्चात् इस गद में शेष राशि संवेदक को वापस कर दी जायेगी।

17. आवेदन पत्र के साथ जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/चल-अचल संपति का ब्योरा/संबंधित थाना से अभिप्राणित पारापोर्ट साईंज का दो फोटो/जिला प्रशासन से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं राक्षम पदाधिकारी से निर्गत निवास प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग से निर्गत PAN No. संलग्न करना अनिवार्य होगा।

18. पड़ाव रथल से वाहनों की चोरी एवं क्षतिग्रस्त होने पर निगम की जिम्मेवारी नहीं होगी। उसकी जिम्मेवारी बन्दोबरताशारी की होगी।

19. किसी भी निविदा को बगैर कोई कारण बताये रख करने का अधिकार अथवा Negotiation करने का अधिकार रांची नगर निगम को सुरक्षित होगा।

नोट:- मुहरबन्द लिफाफा निविदा समिति एवं निविदाताओं/निविदादाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की उपरिधित में खोली जायेगी एवं आवेदक के द्वारा अधिकृत व्यवित ही डाक में भाग ले सकते हैं। यदि निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि भाग नहीं लेते हैं तो निविदा की कार्रवाई बाधित नहीं होगी।

*नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम, रांची।*